राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

: प.22(4)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 05 DEC 2022

::आज्ञा::

हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. (4)T&P/RIPA/2021-22/6730 दिनांक 28.06.2022 के अनुसार सेवानियम, अनुशासनिक कार्यवाही से नियम, वित्त विभाग से संबंधित नियम तथा विधि एवं न्याय विभाग मैन्युअल, विधि एवं अन्य विभागों द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण परिपत्र एवं आदेश आदि के संबंध में 05 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है।

वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में प्रशिक्षण हेतु संबंधित बैच एवं दिनांक को प्रातः 09:30 बजे इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2022 द्वारा उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, निम्न अधिकारी/कर्मचारी की राजकीय कार्य में व्यस्तता एवं पारिवारिक कारणों से प्रशिक्षण बैच की दिनांक निम्नानुसार परिवर्तित की जाती है:–

क्र.	नाम अधिकारी/कार्मिक सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	पदस्थापन स्थान	पूर्व प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण की नव दिनांक
1.	पूजा	वरिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर	31.10.2022 से 04.11.2022	05.12.2022 से 09.12.2022

आज्ञा से,

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री गिरीजेश कुमार ओझा, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रगति आसोपा, उप निदेशक (प्रशासन) एवं पाठ्यक्रम निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 28.06.2022 के क्रम में।
5. संबंधित विभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी/कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।
6. संबंधित विभाग को भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपने–अपने विभाग से कार्यमुक्त होकर अपने नाम के सम्मुख अंकित नव दिनांक को प्रातः 09:30 बजे हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में उपस्थित होवे तथा प्रगति आसोपा मो. 9001481481 एवं सुरभी सिंह मो. 9694273227 से सम्पर्क करें।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव